स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढी सम्बन्धित पटवारी हल्का पैमाईश दिनांक 03.07.2023 के अनुसार कराये जाने के आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजि0 डाक एडी तलब किया गया। अप्रार्थी 9 वकालतान उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार बस्सी से रिपोर्ट तलब कि गई। सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.02.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल मिशल है। सम्यक तामील के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी 2 लगायत 4 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रा0 पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी. को प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में रिकॉर्डेड खातेदार नहीं होने से खारिज किया गया।

3. बहस एकपक्षीय प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 03.07.2023 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया तथा पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 खाता संख्या 172 स्थित ग्राम भटेरी, तहसील तूंगा जिला जयपुर की नकल पेंश की।

4. बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 खाता संख्या 172 स्थित ग्राम भटेरी, तहसील तूंगा जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 03.07.2023 व सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.02.2024 पेश रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बस्सी के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 03.07.2023 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। *Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly-

*Sec.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.*इसलिये प्रार्थी को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या 172 खसरा संख्या 142/368 रकबा 1.5174 है0, 254/371 रकबा 2.5669 है0, 4 रकबा 1.1760 है0, 50/365 रकबा 0.8219 हैक्टेयर स्थित ग्राम भटेरी, तहसील तूंगा जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार तूंगा को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पुनः पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर ग्रामीण (राज.) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला–जयपुर ग्रामीण